

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 97/2020 प्रि0पत्र

1. श्री सुरेश शि0 शंकरलाल गज्जू (महाजन) निवासी - लाडुवास तहसील करेडा  
—प्रार्थी।

वनाम

1. श्री भीम-राज पित्त वेन नाथ निवासी - लाडुवास, तहसील - करेडा  
—विपक्षीगण।



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 02/07/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ..... लाडुवास ..... पटवार हल्का ..... लाडुवास ..... भू0अ0नि0 क्षेत्र ..... करेडा ..... में उनके खाता संख्या ..... 820 की आ0नं0 ..... 1693

रकबा 1.02 बीघा कुल क्षेत्र 1.2 रकबा

स्थित है।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/7/20 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ..... लाडुवास ..... पटवार हल्का ..... लाडुवास ..... भू0अ0नि0 क्षेत्र ..... करेडा ..... में उनके खाता संख्या ..... 820 की आ0नं0 ..... 1693 रकबा 1.02 बीघा कुल क्षेत्र 1.2 रकबा

भूमि स्थित है।

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 ..... करेडा ..... को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)  
सहायक

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)  
सहायक